रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940
No. 474] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 643(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 (14) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 90 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"नियम 90 राष्ट्रीय परमिट की अतिरिक्त शर्तें – धारा 88 की उप-धारा (12) के अधीन जारी किया गया राष्ट्रीय परमिट निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:-

(1) शब्दों "राष्ट्रीय परमिट एन/पी" को वाहनों के आगे और पीछे मोटे अक्षरों में अंकित किया जाएगा। ट्रेलरों के मामले में शब्दों "एन/पी" को वाहन के पीछे और बाईं ओर अंकित किया जाएगा।

(2) खतरनाक या परिसंकटमय माल ले जाने वाले टेंकर की बॉडी को सफेद रंग में रंगा जाएगा और टेंकर के दोनों ओर और पीछे की ओर, नियम 137 में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी लेबल प्रदर्शित किया जएगा।

(3) यान में केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138क में यथा विनिर्दिष्ट, फास्टैग लगाया जाएगा।

(4) यान में नियम, 104 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अगले और पिछले भाग पर परार्वतक पट्टी (रिफलैक्टिव टेप्स) लगाई जाएंगी।

(5) यान में एआइएस 140 के अनुसार वाहन ट्रैकिंग प्रणाली यंत्र लगाया जाएगा।

3. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 62 में, उप-नियम (1) में,

(1) खंड (ख) में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा :

(ख) परिवहन यानों के संबंध में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण	आठ वर्षों तक पुराने वाहनों के लिए दो वर्ष तथा आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष

(2) खंड (ग) और (घ) का विलोपन किया जाएगा।

(3) तालिका में क्रम सं. 17 के पश्चात् निम्नानुसार एक नई प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी:-

क्र. सं.	मद	फिटमेंट की जांच	मूल उपस्कर सिफारिशों के अनुसार माडेल/ टाइप/ रेटिंग/ इत्यादि की जांच	स्थिति की जांच	कार्य पद्धति की जांच	परीक्षण	टिप्पणियां
(18)	फास्टैग	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	विंड स्क्रीन के अगले भाग पर लगाया जाना

(4) उप-नियम (1) में दूसरे परन्तुक की व्याख्या के पश्चात् एक नया परन्तुक जोड़ा जाएगा-

"परन्तु यह भी कि संपूर्ण रूप से निर्मित वाहन के रूप में विक्रय किए गए नए परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण के समय किसी फिटनेस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथा उस वाहन को पंजीकरण की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए फिटनेस के प्रमाण-पत्र से युक्त समझा जाएगा।"

4. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 138-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"138ख सभी भारी माल वाहनों द्वारा माल सामग्री को वाहन या कंटेनर की बंद बॉडी में ले जाया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि माल सामग्री को खुली बॉडी में ले जाया जाना आवश्यक होता है तो माल को ट्रैपोलिन या किसी अन्य उपयुक्त कपड़े जैसे समुचित कवर का प्रयोग करके कवर किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि अविभाज्य प्रकृति का माल जिसे प्रथम परन्तुक के अनुसार बंद बॉडी में ले जाया जाना संभव नहीं होता है या कवर नहीं किया जा सकता है उस माल को कवर के बिना ले जाया जा सकता है।"

5. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 139 में शब्दों "ड्राइविंग लाइसेंस और" के पश्चात् शब्दों "भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक रूप में, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी)" को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[सं. आरटी-11017/13/2005-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

G.S.R. 643(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 88 (14) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001 or email at js-tpt@gov.in within the period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), the rule 90 shall be substituted as under: -

"Rule 90. Additional conditions for national permit - The national permit issued under sub-section (12) of section 88 shall be subject to the following additional conditions, namely: -

(1) The words "National Permit or N/P" shall be inscribed in the front and rear of the vehicles in bold letters. In case of trailers, the words "N/P" shall be inscribed on the rear and left side of the vehicle.

(2) The body of a tanker carrying dangerous or hazardous goods shall be painted in white colour and shall display the class label, as prescribed in rule 137, on both the sides and rear of the tanker.

(3) The vehicle shall be fitted with FASTag, as prescribed in rule 138A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989."

(4) Vehicle shall be affixed with reflective tapes at front and rear as prescribed under Rule 104.

(5) Vehicle shall be fitted with a Vehicle Tracking System device as per AIS 140.

3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 62, in sub-rule (1),

(1) in clause (b), following shall be substituted:

(b) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehicles	Two years for vehicles up to eight years old and one year for vehicles older than eight years.

(2) Clause (c) and clause (d) shall be deleted.

(3) In the table, after Sl. No. 17, a new entry shall be inserted, as under: -

Sr No.	Item	Check Fitment	Check make/type/ rating/ etc. as per Original Equipment recommendations	Check conditions	Check functioning	Test	Remarks
(18)	Fastag	Yes	No	Yes	No	No	To be affixed on the front wind screen

(4) In sub-rule (1), after the explanation to the second proviso, a new proviso shall be added –

"Provided further that no fitness certification shall be required at the time of registration for new transport vehicle sold as fully built vehicle and such vehicle shall be deemed to be having certificate of fitness for a period of two years from the date of registration".

4. In the said rule, after rule 138-A, the following rule shall be substituted.

"138 B. All goods carriage vehicles shall carry goods in a closed body of the vehicle or container.

Provided that if it is necessary to carry goods in open bodies, goods shall be covered by using appropriate cover like tarpaulin or any other suitable material.

Provided further that the goods of indivisible nature, not capable of being carried in a closed body or being covered as per the first proviso, may be carried without cover."

5. In the said rule, in rule 139, after the words "driving licence and" the words "certificate for Pollution Under Check in physical or electronic form", shall be inserted.

[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.13 22:23:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.